रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 875] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 24, 2017/कार्तिक 2, 1939
No. 875] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 24, 2017/KARTIKA 2, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2017

सं. 52/2017-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि.1327 (अ).—जबकि, कि नामित प्राधिकारी ने दिनांक 12 अक्तूबर, 2015 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-(i) में प्रकाशित दिनांक 12 अक्तूबर 2015 की अपनी अधिसूचना सं.15/4/2014-डीजीएडी, के अंतर्गत चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया, यूरोपीय संघ , दक्षिणी अफ्रीका, ताइवान (चीन तेइपई), थाईलैंड और संयुक्त राष्ट्र अमरीका (यहां जिसे विषयगत देश/भू क्षेत्र के रूप में संदर्भित किया गया है) से उद्भूत या वहां से निर्यात किए गए स्टैनलैस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद, जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे यहां उपर्युक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7219 के अंतर्गत आते हैं, के आयात पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में, अपने अंतिम निष्कर्षो के तहत, विषयगत देशो /भू क्षेत्रो में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित स्टैनलैस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद, पर प्रतिपाटन शुल्क के अधिरोपण की अनुशंसा की थी।

और जबकि, प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षो के आधार पर, केन्द्र सरकार ने भारत के राजपत्र के असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 को सा.का.नि. सं. 955 (अ) के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 की अधिसूचना सं. 61/2015- सीमा शुल्क (एडीडी) के द्वारा, विषयगत देशों/भू क्षेत्रो में उद्भूत अथवा निर्यात की गई कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद ऑफ स्टैनलैस स्टील पर प्रतिपाटन शुल्क का अधिरोपण किया था ।

और जबकि कि, नामित प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- I, खंड-(i) में प्रकाशित दिनांक 19 फरवरी, 2016 की अपनी अधिसूचना सं.14/1/2014-डीजीएडी, के अंतर्गत विषयगत देशो /भू क्षेत्रो में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित स्टैनलैस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद, के आयात पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उपखंड (i) में दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 को सा.का.नि. सं. 955 (अ) के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 की अधिसूचना सं. 61/2015-सीमा शुल्क के अंतर्गत लागू किया गया था, के आयातों पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क

को, संबद्ध सामानों में निम्नलिखित को छोड़कर, 'सभी सीरिज के 1250 मिमीज्यादा तक की चौड़ाई वाले स्टेनलैस स्टील के कोल्ड रोल्ड उत्पाद, जो आगे 4 मिमी.की मोटाई वाले स्टेनलैस स्टील के कोल्ड रोल्ड उत्पाद कम किए गए कोल्ड) से आगे काम के नहीं हैं (मिल एज्ड के लिए + 30 मिमी का और ट्रिम एज्ड के लिए + 4 मिमि. तक की चाड़ाई सहिष्णुता सहित) शामिल है-

(क) ग्रेड एआईएसआई 420 हाई कार्बन, 443, 441, ईएन 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318, 1.4833 और ईएन 1.4509;

(ख) मै. यीह यूनाइटेड स्टील कॉर्प (यूस्को), चीनी तेइपई (ताइवान) द्वारा उत्पादित औरर आपूर्त ग्रेड वाई यू 1 तथा वाई यू 4 का प्रतिनिधित्व करने वाले क्रोमियम –निकल, मैग्नीज-कॉपर, ऑस्टेनिटिक स्टेनलैस इस्पात वाले पात्र कम निकल के उत्पादों के संबंध में भारतीय पेटैंट संख्या 223848 के अंतर्गत आपूर्त उत्पाद ।

(जिसे इसके पश्चात् 'विषयगत वस्तु' के रूप में संदर्भित किया गया है), सीमा शुल्क अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7219 के अंतर्गत आते हैं, विषयगत देशों /भू क्षेत्रो में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित, बढ़ाने की आवश्यकता का निर्धारण किए जाने हेतु जाँच की शुरुआत की थी।

और जबकि पद नामित पदाधिकारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1 में, अधिसूचना सं. 14/1/2014-डीजीएडी, दिनांक 18 अगस्त, 2017 को प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्ष के अंतर्गत इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि-

(i) प्रतिपटन शुल्क लगाने के बाद ,बाधक उत्पाद (विषयगत वस्तु) के आयात में काफी वृद्धि हुई ।

(ii) विषयगत वस्तु को, दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 की अधिसूचना सं. 61/2015- सीमा शुल्क (एडीडी), में वर्णित, स्टैनलैस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद, की जिस चौड़ाई को कवर किया गया है, में परिवर्तित करने के लिए संवर्धन मूल्य निर्धारित सीमा से अपेक्षाकृत कम है।

(iii) विषयगत वस्तु का जाँच की अवधि के दौरान पाटित मूल्यों पर निर्यात किया गया है।

और विषयगत देशों /भू क्षेत्रो में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु पर, स्टैनलैस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद, के आयात पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 को सा.का.नि. सं. 955 (अ) के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 की अधिसूचना सं. 61/2015-सीमा शुल्क के अंतर्गत लागू किया गया था, के आयातो पर विद्यमान प्रतिपाटन शुल्क के अधिरोपण की अनुशंसा की गयी है।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 27 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 क की उप-धारा (1), (1 क) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, नामित अधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर अद्योलिखित सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित देश में उद्गमित, उक्त सारणी के स्तंभ (7) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित उत्पादकों द्वारा उत्पादित, भारत में आयात किए गए ऐसे मामलों पर, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित, उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के शीर्ष के अंतर्गत आते हैं, जिनका विवरण उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दिया गया है, और जिनकी विशिष्टता उक्त सारणी के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई है, जब उनका निर्यात उक्त सारणी के स्तंभ (6) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित देशों से , उक्त सारणी के स्तंभ (8) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित निर्यातकों द्वारा किया जाए, उक्त सारणी के स्तंभ (9) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित सी आई एफ मूल्य के प्रतिशत की लागू करके निकाली गई राशि की दर पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है।

सारणी

क्रम सं.	शीर्ष	वस्तु विवरण	विनिर्देशन	उद्गम का देश	निर्यातक देश/क्षेत्र	उत्पादक	निर्यातक	पहुँच मूल्य का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	7219	स्टैलनैस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद	नीचे पाद टिपण्णी के अनुसार छोड़े गए उत्पादों के	चीन जन गण	कोई	कोई	कोई	57.39 %

			अलावा सभी श्रेणी, सभी श्रृंखलाओं*					
2	7219	-वही-	-वही-	विषयगत देशों/ क्षेत्रो के अलावा अन्य कोई देश	चीन जन गण	कोई	कोई	57.39%
3	-वही-	-वही-	-वही-	कोरिया जन. गण.	कोरिया जन. गण.	पीसोको	1हुंडई कार्पो. 2.देवू इंटरनेशल कार्पो. .	5.39%
4	-वही-	-वही-	-वही-	कोरिया जन. गण.	कोरिया जन. गण.	उपर्युक्त में से अन्य कोई संयोजन		13.44%
5	-वही-	-वही-	-वही-	कोरिया जन. गण.	कोई	कोई	कोई	13.44%
6	-वही-	-वही-	-वही-	विषयगत देशों/ क्षेत्रो के अलावा अन्य कोई देश	कोरिया जन.गण.	कोई	कोई	13.44%
7	-वही-	-वही-	-वही-	चीन तेइपई	कोई	कोई	कोई	15.93%
8	-वही-	-वही-	-वही-	विषयगत देशों/ क्षेत्रों के अलावा अन्य कोई देश	चीन तेइपई	कोई	कोई	15.93%
9	-वही-	-वही-	-वही-	दक्षिणी अफ्रीका	दक्षिणी अफ्रीका	कोलम्बस स्टैनलैस (प्रा0) लि0	कोलम्बस स्टैनलैस (प्रा0) लि0	12.34 %
10	-वही-	-वही-	-वही-	दक्षिणी अफ्रीका	दक्षिणी अफ्रीका	उपर्युक्त में से अन्य कोई संयोजन		36.91%
11	-वही-	-वही-	-वही-	दक्षिणी अफ्रीका	कोई	कोई	कोई	36.91 %
12	-वही-	-वही-	-वही-	विषयगत देशों/ क्षेत्रों के अलावा अन्य कोई देश	दक्षिणी अफ्रीका	कोई	कोई	36.91 %
13	-वही-	-वही-	-वही-	थाईलैंड	थाईलैंड	पीसोको थाइनाक्स	1. पीओएससीओ थाइनाक्स 2.हुडई इंडिया कार्पो.	4.58 %
14	-वही-	-वही	-वही-	थाईलैंड	थाईलैंड	उपर्युक्त में से अन्य कोई संयोजन		5.39 %
15	-वही-	-वही-	-वही	थाईलैंड	कोई	कोई	कोई	5.39 %
16	-वही-	-वही	-वही-	विषयगत देशों/ क्षेत्रों	थाईलैंड	कोई	कोई	5.39%

				के अलावा अन्य कोई देश				
17	-वही-	-वही-	-वही-	यूएसए	कोई	कोई	कोई	9.47 %
18	-वही-	-वही-	-वही-	विषयगत देशों/ क्षेत्रों के अलावा अन्य कोई देश	यूएसए	कोई	कोई	9.47 %
19	-वही-	-वही-	-वही-	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ	एसरीनोक्स यूरोप एसएयू स्पेन		29.41%
20	-वही-	-वही-	-वही-	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ	उपर्युक्त में से अन्य कोई संयोजन		52.56%
21	-वही-	-वही -	-वही-	यूरोपीय संघ	कोई	कोई	कोई	52.56 %
22	-वही-	-वही-	-वही-	विषयगत देशों/ क्षेत्रों के अलावा अन्य कोई देश	यूरोपीय संघ	कोई	कोई	52.56 %

*नोट: संबद्ध सामानों में निम्नलिखित को छोड़कर 'सभी सीरिज के 1250 मिमी से ज्यादा तक की चौड़ाई वाले स्टेनलैस स्टील के कोल्ड रोल्ड उत्पाद जो आगे 4 मिमी. की मोटाई वाले स्टेनलैस स्टील के कोल्ड रोल्ड उत्पाद कम किए गए कोल्ड) से आगे काम के नहीं हैं (मिल एज्ड के लिए + 30 का चाड़ाई टोलरेंस और ट्रिम एज्ड के लिए (मिल एजेड के लिए +4 मिमी. तथा ट्रिम्ड एजेड के लिए + 4 मिमि. तक की सहिष्णुता सहित) शामिल है –

i. ग्रेड एआईएसआई 420 हाई कार्बन, 443, 441, ईएन 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318, 1.4833 और ईएन 1.4509;

ii. मै. यीह यूनाइटेड स्टील कॉर्प (यूस्को), चीनी तेइपई (ताइवान) द्वारा उत्पादित औरर आपूर्त ग्रेड वाई यू 1 तथा वाई यू 4 का प्रतिनिधित्व करने वाले क्रोमियम –निकल, मैग्नीज-कॉपर, ऑस्टेनिटिक स्टेनलैस इस्पात वाले पात्र कम निकल के उत्पादों के संबंध में भारतीयपेटैंट संख्या 223848 के अंतर्गत आपूर्त उत्पाद।

2. आगे, कोई भी प्रतिपाटन शुल्क विषयगत वस्तुओं के आयात पर देय नहीं होगा यदि:

(i) एक आयातक जो विषयगत वस्तुओं को बिना स्लिट के समान रूप में अंतिम उपयोग के लिए आयात करता है; या

(ii) इसे 2 या अधिक विषयगत वस्तुओं में स्लिट कर दिया, अर्थात 1250 मिमी से अधिक आकार के टुकड़ों में स्लिट किया (उदाहरण के लिए, एक 2600 मिमी का टुकड़ा दो 1300 मिमी आकार के टुकड़ों में स्लिट कर दिया गया),

बशर्ते आयातक सीमा शुल्क (शुल्क्य माल के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 2017 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करता है।

स्पष्टीकरण: विषयगत वस्तुओं के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क देय होगा यदि वे, विषयगत वस्तुओं और विषयगत वस्तुओं के आकार के नीचे, या विषयगत वस्तुओं के आकार के नीचे के आकार के टुकड़ों में स्लिट कर दिया जाए, (उदाहरण के लिए, 1800 मिमी का एक टुकड़ा, 1400 मिमी और 400 मिमी आकार के टुकड़ों में स्लिट कर दिया जाए या 2200 मिमी का एक टुकड़ा 1400 मिमी और 800 मिमी के टुकड़ों में स्लिट कर दिया जाए या 1400 मिमी का एक टुकड़ा 600, 500 और 300 मिमी आकार के टुकड़ों में स्लिट कर दिया जाए);

3. यह अधिसूचना 10 दिसंबर, 2020, सहित इस तिथि तक जब तक कि इसके पहले इसको रद्द नहीं किया जाएगा, लागू रहेगी और, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रतिपाटन शुल्क का भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाएगा।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए "पहुँच मूल्य" से अभिप्राय वस्तु आकलन मूल्य से है जिसका निर्धारण सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत हो तथा उन सभी सीमा शुल्क से है जो उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3, 3क, 8 ख 9 और 9क के अंतर्गत लगाये जाने वाले शुल्क को छोड़कर होते हैं।

[फा.सं. 354/87/2009-टीआरयू (भाग-III]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 2017

No. 52/2017-Customs (ADD)

G.S.R. 1327(E).— Whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on import of Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel, falling under the heading 7219 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) [hereinafter referred to as the Customs Tariff Act], originating in or exported from People's Republic of China, Korea, European Union, South Africa, Taiwan (Chines Taipei), Thailand and United Sates of America (USA) (hereinafter referred to as the subject countries / territories), the designated authority, *vide* its final findings in notification No. 15/04/2014 -DGAD, dated the 12th October, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 12th October, 2015, had recommended imposition of the anti-dumping duty on Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel, originating in or exported from the subject countries / territories.

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed an anti-dumping duty on Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel, originating in or exported from the subject countries / territories, *vide*, notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.61/2015-Customs (ADD), dated the 11th December, 2015, published *vide* G.S.R. 955(E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 11th December, 2015;

And whereas, the designated authority, published *vide* notification No.14/1/2014-DGAD, dated the 19th February, 2016, in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, in the matter of circumvention of the anti-dumping duty imposed on imports of Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel, had initiated an investigation to determine the need for extending anti-dumping duty imposed on the imports of Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel, originating in or exported from the subject countries / territories, *vide*, notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.61/2015-Customs (ADD), dated the 11th December, 2015, published *vide* G.S.R. 955(E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 11th December, 2015, to the imports of "*Cold-rolled Flat products of stainless steel of width greater than 1250 mm of all series not further worked than Cold rolled (cold reduced) with a thickness of up to 4mm (width tolerance of +30 mm for Mill Edged and +4mm for Trimmed Edged); excluding:*

(a) Grades AISI 420 high carbon, 443, 441, EN 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318, 1.4833 and EN 1.4509; and

(b) Product supplied under Indian Patent No. 223848 in respect of goods comprising Low Nickel containing Chromium-Nickel Manganese-Copper Austenitic Stainless steel and representing Grades YU 1 and YU 4, produced and supplied by M/s Yieh United Steel Corp (Yusco) of Chinese Taipei (Taiwan)",

(hereinafter referred to as the 'subject goods') falling under the heading 7219 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from the subject countries/ territories;

And whereas, the designated authority in its final findings, published *vide* notification No.14/1/2014-DGAD, dated the 18th August, 2017, in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, has come to the conclusion that-

(i) imports of circumventing product (subject goods) have increased significantly post levy of anti-dumping duty;

(ii) the value addition in converting subject goods to cold rolled flat products of stainless steel of widths covered *vide* notification No. 61/2015-Customs (ADD), dated the 11th December, 2015 is less than the prescribed threshold.

(iii) subject goods have been exported at dumped prices during the Period of Investigation.

and has recommended imposition of existing anti-dumping duty imposed on the imports of Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel originating in or exported from the subject countries / territories, *vide*, notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.61/2015-Customs (ADD), dated the 11th December, 2015, published *vide* G.S.R. 955(E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 11th December, 2015, on the subject goods, originating in or exported from the subject countries / territories;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (1A) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rule 27 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, the specification of which is specified in column (4), falling under tariff heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries/territories as specified in the corresponding entry in column (5), exported from the countries/territories as specified in the corresponding entry in column (6), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (7), exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (8), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate to be worked out as percentage of the landed value of imports of the subject goods as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	**Tariff heading**	**Description of goods**	**Specification**	**Countries/Territories of Origin**	**Countries/ Territories of Export**	**Producer**	**Exporter**	**Duty Amount**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
1	7219	Cold-rolled Flat products of stainless steel	All Grades, All Series except the exclusions as per footnote below*	People's Republic of China	Any	Any	Any	57.39%
2	-Do-	-Do-	-Do-	Any country other than the subject countries/territories	People's Republic of China	Any	Any	57.39%
3	-Do-	-Do-	-Do-	Korea RP	Korea RP	POSCO	1. Hyundai Corporation 2. Daewoo International Corporation	5.39%
4	-Do-	-Do-	-Do-	Korea RP	Korea RP	Any combination other than above combination		13.44%
5	-Do-	-Do-	-Do-	Korea RP	Any	Any	Any	13.44%
6	-Do-	-Do-	-Do-	Any country other than the subject countries/territories	Korea RP	Any	Any	13.44%
7	-Do-	-Do-	-Do-	Chinese Taipei	Any	Any	Any	15.93%
8	-Do-	-Do-	-Do-	Any country other than the subject countries/territories	Chinese Taipei	Any	Any	15.93%
9	-Do-	-Do-	-Do-	South Africa	South Africa	Columbus Stainless (Pty) Ltd	Columbus Stainless (Pty) Ltd	12.34%
10	-Do-	-Do-	-Do-	South Africa	South Africa	Any combination other than above combination		36.91%

11	-Do-	-Do-	-Do-	South Africa	Any	Any	Any	36.91%
12	-Do-	-Do-	-Do-	Any country other than the subject countries/territories	South Africa	Any	Any	36.91%
13	-Do-	-Do-	-Do-	Thailand	Thailand	POSCO Thainox	1. POSCO Thainox 2. Hyundai Corporation	4.58%
14	-Do-	-Do-	-Do-	Thailand	Thailand	Any combination other than above combination		5.39%
15	-Do-	-Do-	-Do-	Thailand	Any	Any	Any	5.39%
16	-Do-	-Do-	-Do-	Any country other than the subject countries/territories	Thailand	Any	Any	5.39%
17	-Do-	-Do-	-Do-	United States of America	Any	Any	Any	9.47%
18	-Do-	-Do-	-Do-	Any country other than the subject countries/territories	USA	Any	Any	9.47%
19	-Do-	-Do-	-Do-	European Union	European Union	Acerinox Europa SAU, Spain	Acerinox Europa SAU, Spain	29.41%
20	-Do-	-Do-	-Do-	European Union	European Union	Any combination other than the above combination		52.56%
21	-Do-	-Do-	-Do-	European Union	Any	Any	Any	52.56%
22		-Do-	-Do-	Any country other than the subject countries/territories	European Union	Any	Any	52.56%

***Note:** The subject goods include cold-rolled Flat products of stainless steel of width greater than 1250 mm of all series not further worked than Cold rolled (cold reduced) with a thickness of up to 4mm (width tolerance of +30 mm for Mill Edged and +4mm for Trimmed Edged), excluding the following:

(a) Grades AISI 420 high carbon, 443, 441, EN 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318, 1.4833 and EN 1.4509;

(b) Product supplied under Indian Patent No. 223848 in respect of goods comprising Low Nickel containing Chromium-Nickel Manganese-Copper Austenitic Stainless steel and representing Grades YU 1 and YU 4, produced and supplied by M/s Yieh United Steel Corp (Yusco) of Chinese Taipei (Taiwan).

2. Further, no anti-dumping duty shall be payable on imports of the subject goods if:

(i) an importer who imports the subject goods for end use in the same form without slitting; or

(ii) slitted it into 2 or more subject goods i.e. sizes above 1250 mm (for example a 2600 mm piece slitted into two 1300 mm size pieces),

Provided that the importer follows the procedure set out in the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules, 2017.

Explanation: Anti-dumping duty shall be payable on the imports of the subject goods if it is slitted for a combination of subject goods and below subject goods size or below subject goods sizes, (For example, an 1800 mm piece being slit into a 1400 mm and a 400-mm piece or a 2200 mm piece is slit into 1400 mm and 800 mm or a 1400 mm piece being slit into 600, 500 & 300 mm sizes);

3. This notification shall remain in force up to and inclusive of the 10th December, 2020, unless revoked earlier, from the date of publication of this notification in the Official Gazette and the anti-dumping duty shall be paid in Indian currency.

Explanation. - For the purposes of this notification, "Landed Value" shall be the assessable value as determined under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and all duties of customs except duties levied under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act.

[F.No. 354/87/2009-TRU (Pt-III)]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.10.25 13:33:32 +05'30'